

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/सीएचआईएएल/सीपी-II/2021-26
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 19 जुलाई, 2021

सार्वजनिक सूचना संख्या 20/2021-22

विषय: चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल), चंडीगढ़ के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026 तक) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण संबंधी दिनांक 18.06.2021 के परामर्श पत्र संख्या 09/2012-22 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां/प्रस्तुतियां

चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीएचआईएएल), चंडीगढ़ के लिए द्वितीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026 तक) वैमानिक टैरिफ के निर्धारण संबंधी दिनांक 18.06.2021 के परामर्श पत्र संख्या 09/2021-22 की ओर सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा प्राधिकरण ने हितधारकों से टिप्पणियां मांगी थी।

2. इसके जवाब में प्राधिकरण को निम्नलिखित हितधारकों से टिप्पणियां/प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं।

क्र. सं.	हितधारक
01	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)
02	पंजाब सरकार
03	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
04	मैसर्स फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए)

ऊपर बताए अनुसार प्राप्त टिप्पणियां/प्रस्तुतियां सभी संबंधितों की जानकारी के लिए संलग्न है।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

